B.Ed. 2nd Year
Session – 2018-2020
Subject – School Management & Leadership
Unit – 2 (c)
Topic – Headmaster(प्रधानाध्यापक)
Lecture No: 28

Dr. Amod Kumar Sinha
(Assistant Professor)
Department of Education
A.N. D. College,
Shahpur Patory
(Samastipur)

Continued from the previous lecture.....

छात्र-क्रियाकलाप में प्रधानाध्यापक की भूमिका

आज के युग में विद्यालयी शिक्षा का लक्ष्य ऐसे छात्र तैयार करना है जो अनुशासित, उत्साही, एवं सशक्त कार्यकर्त्ता के रूप में सामाजिक कार्य कर सके। इसका मुख्य उत्तरदायित्व प्राचार्य का स्कूल संबंधी छात्रों के विभिन्न कार्यकलापों पर निर्भर करता है कि वह किस रुप में छात्रों को सामाजिक रूप में उपयोगी धारा के अन्तर्गत सम्मिलित कर सकते हैं। वास्तव में यह प्रधानाध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व होता है कि वह विद्यालय के छात्रों हेतु इस प्रकार प्रभावी, एवं योजनाबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करे कि छात्रों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से उपयोगी हो।

वी. एस. झा (V. S. Jha) के शब्दों मे, "एक अच्छा प्राचार्य केवल विद्वान ही नहीं होता बल्कि वह एक चरित्रवान व्यक्ति भी होता है। उसे विद्यार्थियों से गहरी सहानुभूति होती है। वह विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझता है और उनके साथ व्यवहार करने की उसमें पर्याप्त युक्ति होती है। वह विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यत्मिक आवश्यकताओं के प्रति सचेत होता है और जानता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।"

एक प्रधानाध्यापक के लिए निम्नलिखित कार्यों को करना आवश्यक है -

1. **छात्रों को गतिशील नेतृत्व प्रदान करना** - किसी भी प्रधानाध्यपक को छात्रों को गतिशील नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए उसमें एक सुयोग्य नेता के सभी गुण विद्यमान होने चाहिए। रायबर्न के अनुसार, अपने सहयोगी समूह के नेता के रूप में मुख्याध्यापक का कर्तव्य है कि वह अपने आप को वांछित स्तर पर रखे। यदि उसे अन्धा नेता नहीं बनना तो उसे शिक्षा संबंधी आंदोलनों , भारत तथा अन्य देशों में हो रहे शिक्षा -प्रयोगों, मनोविज्ञान तथा पैरा-मनोविज्ञान के नवीन विचारों से भली-भाँति परिचित होना चाहिए। इससे उसे अपने सदस्यों को शिक्षा व्यवसाय के आधुनिक विचारों तथा अभ्यासों से परिचय प्रदान करते में सुविधा होगी।

2. **छात्रों का समुचित मार्गदर्शन एवं परामर्श देना** - प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों को विषय के चयन , रोजगार आदि संबंधी परामर्श , उनकी योग्यता, अभिरूचि एवं रूचि के आधार मार्गदर्शन एवं परामर्श प्रदान करना चाहिए।

3. **छात्रों के सामाजिक कार्यक्रमों की व्यवस्था करना** - प्रधानाचार्य द्वारा छात्रों का विभिन्न सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके लिए स्कूलों में राष्ट्रीय सामाजिक सेवा (N.S.S), पौढ़ शिक्षा, अनौजचारिक शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था करानी चाहिए।

4. **विभिन्न स्कूली योजनाओं की व्यवस्था करना** - प्राचार्य के द्वारा विद्यालय में सामूहिक जीवन वकसित करने हेतु विभिन्न स्कूली योजनाओं, जैसे - स्कूल की सफाई, श्रमदान, साक्षरता प्रसार आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।

To be continued....